स्वाभिमान की बात पर भी हमारा खून नहीं खोलता है, तो हम पर लानत है : डोटासरा

दिल्ली में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को प्रदेश कार्यालय से ज्योति नगर तक पैदल मार्च निकाला।

जयपुर, (का.प्र.)। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन का मोर्चा संभाला तो जयपुर में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से ईडी कार्यालय ज्योति नगर तक मार्च निकालकर कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार को ललकारा।

जयपुर में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से ज्योति नगर तक निकाले गए मार्च में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और कांग्रेस नेताओं सहित कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे। हालांकि उम्मीद के मुताबिक भीड़ नहीं आने पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कुछ नेता सरकार में पद लेकर तो बैठे हैं, लेकिन जब संघर्ष करने के लिए सड़क पर उतरना होता है, तो वह समर्थक लाने की बजाय अपने गनमैन लेकर इन प्रदर्शनों में पहुंच जाते हैं। अब समय आ गया है, जब हम सबको खड़ा होना होगा, क्योंकि जब स्वाभिमान पर बात आती है या किसी व्यक्ति की इज्जत सरेआम लूटने की साजिश होती है, उसके बाद भी अगर हमारा खून नहीं खौलता है तो हम पर लानत है। हम धरती पर जिंदा कैसे हैं?

डोटासरा ने कहा कि हम कांग्रेस के सिपाही हैं। हम सब पद लेना चाहते हैं, सरकार में बड़े-बड़े ओहदे लेना चाहते हैं। हम मर्जी के मुताबिक अधिकारी लगवाना चाहते हैं, लेकिन जब संघर्ष की बारी आती है, तो हम अपनी गाड़ी के गनमैन के साथ बैठकर आ जाते हैं। इस प्रकार से यह देश नहीं बचेगा कि हमारे नेता के पर हमला हुआ और हम धरने प्रदर्शन और कार्यक्रम को हंसी मजाक में लेंगे।

डोटासरा ने कहा कि कल हमें भी जब पकड़कर जेलों में ठूंसा जाएगा, उस समय हमारे पक्ष में भी कोई नहीं बोलेगा क्योंकि जब हमारे नेता, हमारे पार्टी प्रमुख पर हाथ उठाया, तब भी हम नहीं बोले। ऐसे में अब संदेश यह जाना चाहिए कि राहुल गांधी के पर जो कार्रवाई करने का प्रयास है, उसके बाद भाजपा और मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लगना चाहिए कि हम लोग जाग गए हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर आ गया हैं। डोटासरा ने कहा कि अब जेल भरनी पड़ेगी तो हम जेल भरेंगे, डंडे खाने होंगे तो हम डंडे भी खाएंगे। जब सरकार में बैठकर हम मलाई खा सकते हैं तो क्या कांग्रेस के नेता के लिए डंडे नहीं खा सकते?

मंत्री गोविंदराम मेघवाल ने कहा बीजेपी जब से सत्ता में आई है पूरे देश को बेचने का काम कर रही है। रेलवे, एयरपोर्ट, एलआईसी बेच दिए। बैंक, सड़क और कोयला बेचने का काम हो रहा है। पूरे देश में दंगे फैलाने की कोशिश हो रही है। कभी नबी के नाम पर गाली देते हैं। ताकी दंगे फैलें। इसलिए नारा देना होगा। पहले लड़े थे गोरों से अब लड़ेंगे चोरों से। ये अंग्रेजों के मुखबिर हैं। इनका आजादी पर कोई भरोसा नहीं है। 52 साल तक आरएसएस कार्यालय पर कभी तिरंगा झंडा नहीं फहराया। अब असली हिन्दू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है।

मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने कहा कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी राज्य के सिटिंग मुख्यमंत्री को धरना-आंदोलन में हिस्सा लेने पर गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने खुद ट्वीट कर जानकारी दी कि उन्हें दिल्ली में किसी थाने में ले जाया जा रहा है। खाचरियावास बोले कि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। यह संविधान का उल्लंघन है। कल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में बीजेपी के किसी कार्यक्रम में आएंगे, तो क्या उन्हें राजस्थान की कांग्रेस सरकार गिरफ्तार करवा देगी।

■ **प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने उलाहना दिया, ''नेता पद लेकर बैठे हैं, लेकिन संघर्ष के लिए सड़क पर उतरना होता है, तो समर्थक लाने की बजाय गनमैन लेकर आ जाते हैं''**

खाचरियावास बोले डोटासरा इनकार कर रहे हैं कि राजस्थान में मोदी को गिरफ्तार नहीं करवाया जाएगा क्योंकि कांग्रेस लोकतंत्र में विश्वास करती है।

पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ चंद्रभान ने कहा मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने एक बात होशयारी की कही है कि राहुल गांधी को ईडी गिरफ्तार नहीं करेगी। मोदी और अमित शाह केवल गीदड़ भभकियाँ देते हैं। राहुल गांधी को अगर गिरफ्तार किया तो केंद्र सरकार की अक्ल दुरुस्त करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। धरने में विधायक इंद्राज गुर्जर, बाबूलाल नागर सहित अन्य नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे।

धरने को मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला, डॉ. चन्द्रभान, शकुंतला रावत, रमेशचन्द मीणा, परसादीलाल मीणा, राज्यमंत्री राजेन्द्र सिंह गुढा, विधायक डॉ. राजकुमार शर्मा, मुकेश भाकर, रामनिवास गावड़िया, जगदीश जांगिड़, संदीप यादव, गिरिराज सिंह मलिंगा, प्रदेश उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ, सामाज कल्याण बोर्ड की चेयरमेन डॉ. अर्चना शर्मा, कैशकला बोर्ड के चेयरमेन महेन्द्र गहलोत, एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी सहित अनेक नेताओं ने सम्बोधित किया।

'बौखलाई कांग्रेस सत्याग्रह का ढोंग रच रही है'

जयपुर। उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने ट्वीट कर कहा कि देश में आर्थिक अपराधों पर नकेल कसने वाली संस्था प्रवर्तन निदेशालय द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी को समन भेजने से बौखलाई कांग्रेस सत्याग्रह का ढोंग रच रही है। अगर गांधी परिवार बापू के सत्याग्रह को आत्मसात कर लेता तो आज फर्जी सत्याग्रह की नौबत नहीं आती।

राठौड़ ने कहा कि वर्ष 2012 में गांधी परिवार पर यंग इंडियन लिमिटेड के माध्यम से नेशनल हेराल्ड की मूल कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का गलत तरीके से अधिग्रहण का आरोप लगा था।

रिश्वत लेने वाले नगर पालिका चेयरमैन को सजा

जयपुर, (का.सं.)। एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने कृषि भूमि को आवासीय में बदलने के बदले रिश्वत लेने वाले किशनगढ़-रेनवाल नगर पालिका मंडल के तत्कालीन चेयरमैन कन्हैयालाल कुमावत को तीन साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि सांवरमल जाट ने बीस फरवरी 2009 को एसीबी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया था कि उसने अपनी कृषि भूमि को आवासीय में बदलने के लिए आवेदन किया था। नगर पालिका चेयरमैन दस रुपए वर्ग गज के हिसाब से दो लाख रुपए मांग रहा है। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने 22 फरवरी को सत्यापन किया और 24 फरवरी को अभियुक्त को पचास हजार रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

कांग्रेस पार्टी प्रदेश में किसानों की पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रही है : राठौड़

जयपुर। उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने वक्तव्य जारी कर कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 11 जून को अपने निवास पर राज्य मंत्रीमण्डल की बैठक में कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 की धारा 17 एवं 17-ए के तहत ''मण्डी प्रांगण की चार दीवारी'' के स्थान पर मण्डी क्षेत्र लागू करने के प्रावधान के लिए मण्डी अधिनियम में संशोधन किये जाने का जो निर्णय लिया है उससे अब प्रदेश के भोले-भाले किसानों के द्वारा कृषि मण्डियों के बजाय खुले बाजार में बेची जा रही अपनी फसल पर टैक्स देने के लिए बाध्य होगा।

राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री का दोहरा रवैया इस बात से साबित होता है कि जब केन्द्र सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिए सन् 2020 में 3 ऐतिहासिक बिल लाये गये थे, जिसके अनुसार किसानों को बिना मण्डियों में जाये अपनी उपज को खुले बाजार में बेचने के स्वच्छन्द अधिकार दिये थे उसका कांग्रेस पार्टी ने पुरजोर विरोध किया था। अब वही कांग्रेस पार्टी प्रदेश में किसानों की पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रही है और गरीब किसान पर जाते-जाते टैक्स का बोझ लाद रही है। राज्य सरकार द्वारा 2020 के विधानसभा सत्र में राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 के अन्तर्गत राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2020 के द्वारा नई धारा 17-ए जोड़ी गई थी जिसके आधार पर प्रदेश में सभी मण्डी समितियों द्वारा चलाये गये प्रधान मण्डी यार्ड, उपमण्डी यार्ड, निजी मण्डी यार्ड, निजी मण्डी उपयार्ड, निजी कृषक उपभोक्ता मण्डी यार्ड, मण्डियों या मालिक मण्डियों के रूप में चिन्हित भण्डार गृह, कोठार, शीत गृह या अन्य स्थान जहां पर किसानों द्वारा अपनी फसल को लाकर बेचा जा रहा है।

नवीन तहसील सीकर ग्रामीण का सृजन

जयपुर, (का.सं.)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीकर जिले में नवीन तहसील सीकर ग्रामीण बनाने एवं अलवर जिले की उप तहसील खैरथल को तहसील में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। गहलोत के इस निर्णय से लोगों को स्थानीय स्तर पर ही राजस्व कार्यों के निस्तारण में सुगमता होगी। नवसृजित तहसील सीकर ग्रामीण में 7 भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त, 29 पटवार मण्डल व 83 राजस्व ग्राम शामिल होंगे।

दुष्कर्म करने वाले को सजा

जयपुर, (का.सं.)। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर द्वितीय ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त साहिल अली को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 23 अप्रेल 2019 को पीडिता के पिता ने मुरलीपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया कि उसकी 15 साल की बेटी सुबह घर के बाहर खड़ी थी। इतने में अभियुक्त अपने कुछ साथियों के साथ आया और उसका अपहरण कर ले गया।

जानलेवा हमला करने वाले को सजा

जयपुर, (का.सं.)। अतिरिक्त सत्र न्यायालय महानगर प्रथम ने बच्चे की बलि देने के लिए उस पर जानलेवा हमला करने वाले अभियुक्त रविचन्द्र बर्मन को तीन साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा करने पर अभियुक्त को छह माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा।

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि मॉडल टाउन, मालवीय नगर निवासी ललिता बर्मन 17 अक्टूबर 2018 को अपने बच्चों के साथ दुर्गा पूजा के लिए हल्दिया गार्डन गई थी। जैसे ही वह गार्डन के गेट में घुसे, अभियुक्त ने उसके बेटे पीयूष की हत्या करने के उद्देश्य से उसके सिर पर छुरें से तीन बार वार किया। इसके चलते वह लहूलुहान हो गया। वार करने के बाद अभियुक्त ने कहा कि उसने बच्चे की बलि दे दी है। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए मालवीय नगर थाना पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।

भाजपा में संगठनात्मक बैठकों का दौर शुरू

जयपुर। राज्यसभा चुनाव में भले ही भाजपा को क्रॉस वोटिंग का दंश झेलना पड़ा हो लेकिन अपने पुराने कड़वे अनुभव भुलाकर भाजपा अब मिशन 2023 की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए संगठनात्मक बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है।

सोमवार को प्रदेश मुख्यालय में जहां सशक्तिकरण अभियान का आगाज किया गया। प्रदेश भाजपाजून और जुलाई महीने में भाजपा की संगठनात्मक स्तर पर मजबूती के लिए कई कार्यक्रम हाथ में लिए गए हैं। भाजपा सांसदों को भी पार्टी की सबसे छोटी बूथ इकाई से जुड़े अभियान में टास्क दिया गया है।

बूथ सशक्तिकरण अभियान की कार्यशाला में सांसदों ओर हर जिले के अभियान से जुड़े संयोजक और सह संयोजक भी इस बैठक में शामिल रहे। हालांकि भाजपा के 17 लोकसभा और 1 राज्यसभा सांसद इस बैठक में शामिल हुए जबकि प्रदेश में लोकसभा के 24 और राज्यसभा के 4 सांसद भाजपा के हैं। बैठक में शामिल होने वाले सांसदों में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के साथ ही सांसद रामचरण बोहरा, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी, बाबा बालक नाथ, राहुल कसवा, रंजीता कोली, पीपी चौधरी, कनक मल कटारा और दुष्यंत सिंह समेत 18 सांसद शामिल हुए।

RASHTRIYA CHEMICALS AND FERTILIZERS LIMITED
(A Government of India Undertaking)
Corp. Office : Priyadarshini, E.E. Highway, Sion, Mumbai 400 022.
CIN: L24110MH1978GOI020185
(Area Office Address : RCF Ltd, 40, Jadhon Nager 'B', Durgapura,Jaipur-PIN 302018)
Tel. No. 0141-2720334, 2554597, 2554979 mail ID rcfrajasthan@gmail.com

In pursuance to the order No. S.O. 2900(E) dated 24.10.2015 and its amendment dated 30.10.2017 issued by Department of Agriculture, Co-Operation and farmer's welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare GOI. RCF Ltd here by notifies that RCF Ltd intends to sell 100% water soluble mixture of fertilizer as per specification given. NPK 19:19:19, Moisture Percent by weight, max-0.5%,N(T) min-19%, (NO3-N max-4%, NH4-N min-4.5%, Urea N max-10.5%), WP P2O5 min-19%, WS K2O min-19%, Na as NACL max-0.5%, Insoluble matter in H2O max - 0.5%, Lead, Cadmium & Arsenic max-Not traceable.
Supply and sales of above Sujala WSF19:19:19 grade will be done after 30 days of intimation.

State Incharge (Rajasthan)

Let us grow together

आम सूचना

मैं सलमा सितारा W/o सईद खान 571, शिवाजी नगर, शास्त्री नगर, जयपुर को खरीद रही हूँ इस मकान का आवंटन पत्र सं.- 84/ 1486 सन 1986 व कब्जा पत्र सं.-86/ 1291 सन 1988 जो कि रामस्वरूप S/o गोविन्दराम के नाम से जारी किया था यह कागज घर से कहीं गुम हो गए हैं मैं इस भूखण्ड पर SBI जवाहर नगर ब्रांच कोड- 31868 से लोन ले रही हूं यदि किसी को आपत्ति हो तो मुझे और SBI जवाहर नगर कोड- 31868 से 15 दिवस के अन्दर सम्पर्क करें। मो.- 8824628600

आम सूचना मेरे अभिभाष्यगण श्री हरीश जेसवानी एवं श्रीमती रति, निवासीगण 5-ग-6 जवाहर नगर, जयपुर का बडा पुत्र-पुत्रवधु धवल एवं अनुष्का (मोनिका) मेरे अभिभाष्यगण के कहने सुनने में नहीं है। दोनों मई 2019 से पृथक निवास कर रहे है जो कोई इनसे किसी प्रकार का संयवहार करेगा वह स्वयं जिम्मेदार होगा, मेरे अभिभाषाण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
दिनांक-13.06.2022 **(राकेश तिवाडी) एडवोकेट मो-9829355592**

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मुवक्किला नसीम आरा पत्नि मोहम्मद अफजल, नि. 26-12, वार्ड नं. एन-2, मोहल्ला मेहरकान, खादी भण्डार के सामने, कस्बा आमेर, जिला जयपुर की ओर से सूचित किया जाता है कि मेरी मुवक्किला की एक सम्पत्ति प्लाट नं. 45-46, सिंगोदिया विहार, गली नं. 2, मानबाग, जयसिंहपुरा खोर, जयपुर में स्थित है, जिसके पते से किसी मोहम्मद हनीफ नाम के व्यक्ति द्वारा अपने फर्जी आधार कार्ड व अन्य, दस्तावेजात बनाकर बिना मेरी मुवक्किला की अनुमति के इस्तेमाल कर दुरूपयोग किया जा रहा है। चूंकि उक्त मोहम्मद हनीफ कभी भी मेरी मुवक्किला के उक्त मकान में नहीं रहा, ना ही मेरी मुवक्किला, मोहम्मद हनीफ को कभी जानती है, ना ही कभी उससे मिली है। इसलिए उसके द्वारा किसी भी व्यक्ति, संस्था से किये गये किसी भी प्रकार के संव्यवहार व कृत्यों के लिए मेरी मुवक्किला की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अतः सूचित रहे।
(इमरान अहमद) एडवोकेट, मो. 91-7877107041, 91-9828087883

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पत्नी सना मुस्लिम पत्नी मोहम्मद मुस्लिम के नाम से आवासीय प्लाट नं. 29 का दक्षिणी हिस्सा, जगदीश कॉलोनी, माउन्ट रोड, आमेर रोड, जयपुर (राज.) में स्थित है, जिस पर मैंने एवं मेरी पत्नी सना मुस्लिम ने एचडीएफसी लिमिटेड से जरिये ऋण खाता संख्या 627216793 से ऋण लिया हुआ था तथा उक्त आवासीय प्लाट नं. 29, जगदीश कॉलोनी, कागदीवाडा रोड (माउन्ट रोड), आमेर रोड, जयपुर (राज.) के समस्त असल दस्तावेज एचडीएफसी लिमिटेड में रहन (Mortgage) कर रखे है।
यह कि मेरी पत्नी सना मुस्लिम का दिनांक 24.02.2022 को स्वर्गवास हो चुका है तथा उक्त प्लाट के पेटे लिये हुये ऋण की पूर्ण अदायगी, एचडीएफसी लिमिटेड को की जा चुकी है, इसलिये अब मैं उक्त आवासीय प्लाट नं. 29 का दक्षिणी हिस्सा, जगदीश कॉलोनी, माउन्ट रोड, आमेर रोड, जयपुर (राज.) के असल दस्तावेजों को प्राप्त करना चाहता हूँ यदि इस संबंध में किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म इत्यादि को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति है तो मय दस्तावेज प्रकाशन तिथि से सात दिवस तक की अवधि में एचडीएफसी लिमिटेड, शाखा सी-25, भगवान दास रोड, सी-स्कीम, जयपुर (फोन नम्बर 0141-6480799) में संपर्क करें। सूचित रहे।
(मोहम्मद मुस्लिम) पुत्र श्री अब्दुल सलाम निवासी आवासीय प्लाट नं. 29, गली नम्बर 3 जगदीश कॉलोनी, कागदीवाडा रोड (माउन्ट रोड), आमेर रोड, जयपुर (राज.) मोबाईल नम्बर 9829194805

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अभिभाष्या अर्चना माथुर पत्नी स्व. श्री ऋषि कुमार माथुर, निवासीः 169, गंगोत्री नगर, गोपालपुरा, जयपुर के भूखण्ड संख्याः 169, गंगोत्री नगर, जयपुर का जेडीए द्वारा श्री कैलाश चन्द कट्टा पुत्र श्री श्रीनारायण कट्टा के नाम से जारी सम्पूर्ण पट्टा विलेख एवं श्री कैलाश चन्द कट्टा द्वारा श्री मदनमोहन गालव, निदेशक बन्धु बिल्डकॉन प्रा.लि. के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत मुख्यारआम दिनांक 21.07.2005 को फोटोकॉपी करवाने के लिये मेरी अभिभाष्या दिनांक 13.06.2022 को समय दोपहर 02:00 से 03:00 बजे के मध्य ई-रिक्शा पर बैठकर जा रही थी तो रास्ते में उक्त दस्तावेज गिर गये। काफी तलाश किया गया, परन्तु मेरी अभिभाष्या को मिले नहीं, यदि उक्त दस्तावेज किसी को प्राप्त होते हैं तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करें, यदि कोई व्यक्ति उक्त दस्तावेज का गलत इस्तेमाल करता है तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा, सूचित रहे। भवदीयः
Dt. 13.06.2022 हनुमान शर्मा, एडवोकेट, 9828262998

खोया पाया

मेरे आवास संख्या 8/HMM/70 इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर का मूल आवंटन पत्र संशोधित आवंटन पत्र, कब्जा पत्र, डिक्लरेशन पत्र कहीं खो गये हैं। यदि किसी को मिले तो निम्न नम्बरों पर सूचित करें। मो. 7014859673

मेरे आवास संख्या 9/162 मालवीय नगर, जयपुर का मूल अदेय प्रमाण पत्र (NDC) एवं डिक्लरेशन पत्र कहीं खो गया है। यदि किसी को मिले तो निम्न नम्बरों पर सूचित करें। मो. 9829224185

मेरे आवास संख्या 63/222 प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर का मूल आवंटन पत्र कहीं खो/गिर गया है मिलने पर सूचित करें-6350465357

NAME CHANGE

I have changed my name Singh Varsha Rani to Varsha Singh for all purpose. R/o 111, Scheme 8A, Jamna Nagar Vistar Sodala Jaipur-302006

I have Changed my Name from Arjun Kumar to Arjun Kumar Gurbani, Therefore I will be known or distinguished in Public by New Name of Arjun Kumar Gurbani Add.- C-74, Krishna Colony, Old Ramgarh Moad, Jaipur.

I army no. 18005927A, Hav, Khaidem Deepak Singh, 60 Engineer Regiment, in my service record my daughter's name Kaidem Allyja Devi registered as wrong, whereas her correct name is Khaidem Allyja Devi, D/o Khaidem Deepak Singh. Vide affidavit, 08.06.2022, Jaipur.

I army no. 18005927A Hav, Khaidem Deepak Singh, 60 Engineer Regiment, in my service record my Wife's name Takhellambam Ronibala Devi registered as wrong, Whereas her correct name is khaidem Ronibala Devi W/o Khaidem Deepak Singh. Vide affidavit, 08.06.2022, Jaipur.

Prajakta Prashant Kochare Spouse of No. 8036194w Rank-Hav Name Khochare Prashant Vijay Resident of 1/5 nav-sainath society, Bhagwan Nagar, Beturkar Pada, kalyan west. District Thane. Marashatra. Pin 421301. Have change my name Prajakta Prashant Kochare to Prajkta Prashant Khochare Vide affidavit No. BF 697061 Dated 09 June 2022 Before Mr Indra mathura (Notary Public Jaipur)

मैंने मेरे पुत्र मंजीत सिंह राठौड का नाम बदलकर मनोज सिंह राठौड पुत्र श्री शेर सिंह राठौड निवासी प्लाट नम्बर 60, सेवाराम नगर, कनकपुरा रेलवे स्टेशन के पास, झोटवाडा, जयपुर रख लिया है भविष्य में इसी नाम से जाना पहचाना जाए।

मैंने अपना नाम मोहन लाल से बदलकर मोहन लाल शर्मा रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावें, मोहन लाल शर्मा पुत्र श्री रामू, शिव कॉलोनी रेनवाल रोड, चौमू, जयपुर।

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त-तृतीय
राजस्थान आवासन मण्डल
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर, दूरभाष संख्या-0141-4901853

आम जाहिर सूचना राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा आवास संख्या-10-एच-24 इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर क्षेत्रफल 236.25 वर्गमीटर का आवंटन श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 1444 दिनांक 10.06.2016 जारी किया गया था। श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह की मृत्यु दिनांक 23.07.2019 को हो जाने के पश्चात श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह के द्वारा क्षतिपूर्ति बंधक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, सजरा प्रमाण पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर, उक्त आवास का हस्तान्तरण अपने नाम से करने का निवेदन किया गया है।
अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति/बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी।

सम्पदा प्रबंधक, वृत तृतीय, रा.आ. मण्डल, जयपुर

कार्यालय ग्राम पंचायत मुण्डावर पंचायत समिति मुण्डावर (अलवर) राज.
क्रमांक-ग्रा.प./मुण्डा./2022-23/29 दिनांक-13/6/2022

अल्पकालीन निविदा सूचना सं. 2021-22

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से निम्न कार्यों हेतु पंचायती राज विभाग/जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग/सार्वजनिक निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/नगर निगम एवं राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं केन्द्रीय/राज्य सरकार व उनके अधिकृत संगठनों में पंजीकृत उपयुक्त श्रेणी संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार कमेटी को होगा। यदि कारणवश उसी दिन अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय व उसी स्थान पर निविदायें खोली जायेगी। अमानत राशि ड्राफ्ट/नगद स्वीकार होगी। उक्त निविदा sppp पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	निविदा प्रपत्र विक्रय दिनांक	निविदा प्रपत्र जमा कराने की दिनांक	निविदा खोलने की दिनांक	अनु.राशि (लाखों में)	अमानत राशि 2 प्रतिशत	निविदा फार्म राशि
1	पानी की टंकी निर्माण शांति देवी पंच के घर के पास मुंडावर।	22/6/2022 12PM तक	22/6/2022 2 PM तक	22/6/2022 3PM तक	0.76 लाख	1520/-	500/-
2	पानी की टंकी निर्माण वार्ड नं. 08 मुंडावर।	22/6/2022 12PM तक	22/6/2022 2 PM तक	22/6/2022 3PM तक	0.76 लाख	1520/-	500/-

उक्त कार्यों के दोष निवारण एवं उनके सुधार (डिफेक्ट लाईबिल्टी पीरियड) का उत्तरादायित्व कार्य पूर्णता के पश्चात नियमानुसार रहेगा, अन्य विवरण निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है।

सरपंच, ग्राम पंचायत मुण्डावर, पं. समिति मुण्डावर (अलवर) — NIB N. ZAL2223A0330, UBN N. ZAL2223GSOB00512 — ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मुण्डावर, पं. समिति मुण्डावर (अलवर)

कार्यालय ग्राम पंचायत मुण्डावर पंचायत समिति मुण्डावर (अलवर) राज.
क्रमांक-ग्रा.प./मुण्डा./टैण्डर/2022-23/28 दिनांक-13/6/2022

अल्पकालीन निविदा सूचना सं. 2020-21

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से निम्न कार्यों हेतु पंचायती राज विभाग/जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग/सार्वजनिक निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/नगर निगम एवं राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं केन्द्रीय/राज्य सरकार व उनके अधिकृत संगठनों में पंजीकृत उपयुक्त श्रेणी संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार कमेटी को होगा। यदि कारणवश उसी दिन अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय व उसी स्थान पर निविदायें खोली जायेगी। अमानत राशि ड्राफ्ट/नगद स्वीकार होगी। उक्त निविदा sppp पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	निविदा प्रपत्र विक्रय दिनांक	निविदा प्रपत्र जमा कराने की दिनांक	निविदा खोलने की दिनांक	अनु.राशि (लाखों में)	अमानत राशि 2 प्रतिशत	निविदा फार्म राशि
1	झमेरी नाले पर गंदे पानी की निकासी हेतु पुलिया बॉक्स का निर्माण कार्य।	22/6/2022 12PM तक	22/6/2022 2 PM तक	22/6/2022 3PM तक	5.30 लाख	10600/-	500/-
2	सड़क चौडाईकरण कार्य आर्य समाज से पुराने थाने की ओर मुंडावर	22/6/2022 12PM तक	22/6/2022 2 PM तक	22/6/2022 3PM तक	3.00 लाख	6000/-	500/-
3	यूरिनल निर्माण हॉस्पिटल एवं बस स्टैंड के पास	22/6/2022 12PM तक	22/6/2022 2 PM तक	22/6/2022 3PM तक	2.00 लाख	4000/-	500/-

उक्त कार्यों के दोष निवारण एवं उनके सुधार (डिफेक्ट लाईबिल्टी पीरियड) का उत्तरादायित्व कार्य पूर्णता के पश्चात नियमानुसार रहेगा, अन्य विवरण निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है।

सरपंच, ग्राम पंचायत मुण्डावर, पं. समिति मुण्डावर (अलवर) — NIB N. ZAL2223A0329, UBN N. ZAL2223GSOB00511 — ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मुण्डावर, पं. समिति मुण्डावर (अलवर)

कार्यालय ग्राम पंचायत मुण्डावर पंचायत समिति मुण्डावर (अलवर) राज.
क्रमांक-ग्रा.प./मुण्डा./2022-23/27 दिनांक-13/6/2022

अल्पकालीन निविदा सूचना सं. 2022-23

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से निम्न कार्यों हेतु पंचायती राज विभाग/जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग/सार्वजनिक निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/नगर निगम एवं राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं केन्द्रीय/राज्य सरकार व उनके अधिकृत संगठनों में पंजीकृत उपयुक्त श्रेणी संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार कमेटी को होगा। यदि कारणवश उसी दिन अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय व उसी स्थान पर निविदायें खोली जायेगी। अमानत राशि ड्राफ्ट/नगद स्वीकार होगी। उक्त निविदा sppp पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	निविदा प्रपत्र विक्रय दिनांक	निविदा प्रपत्र जमा कराने की दिनांक	निविदा खोलने की दिनांक	अनु. राशि (लाखों में)	अमानत राशि 2 प्रतिशत	निविदा फार्म राशि
1	पानी की टंकी निर्माण वार्ड नं. 2 मुण्डावर	22/6/2022 12 PM तक	22/6/2022 2 PM तक	22/6/2022 3 PM तक	1.00 लाख	2000/-	500/-
2	सिंगल फेस बोरिंग व टंकी निर्माण वार्ड नं. 7 मुंडावर	22/6/2022 12 PM तक	22/6/2022 2 PM तक	22/6/2022 3 PM तक	1.00 लाख	2000/-	500/-
3	पानी की टंकी निर्माण कार्य टिन्नी रावत के घर के पास मुंडावर	22/6/2022 12 PM तक	22/6/2022 2 PM तक	22/6/2022 3 PM तक	1.00 लाख	2000/-	500/-
4	सिंगल फेस बोरिंग व टंकी निर्माण वार्ड नं. 12 मुंडावर	22/6/2022 12 PM तक	22/6/2022 2 PM तक	22/6/2022 3 PM तक	1.00 लाख	2000/-	500/-
5	रामसिंह गुर्जर के घर के पास स्थित बोरिंग में मोटर, पाइप, रस्सा, डोरी आदि सामान डालने का कार्य मुंडावर	22/6/2022 12 PM तक	22/6/2022 2 PM तक	22/6/2022 3 PM तक	1.42 लाख	2840/-	500/-
6	नत्थू मीणा के पास स्थित बोरिंग में मोटर, पाइप, रस्सा आदि सामान डालने का कार्य मुंडावर	22/6/2022 12 PM तक	22/6/2022 2 PM तक	22/6/2022 3 PM तक	1.42 लाख	2840/-	500/-
7	भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर छत डालना व अन्य कार्य मुंडावर	22/6/2022 12 PM तक	22/6/2022 2 PM तक	22/6/2022 3 PM तक	1.42 लाख	2840/-	500/-

उक्त कार्यों के दोष निवारण एवं उनके सुधार (डिफेक्ट लाईबिल्टी पीरियड) का उत्तरादायित्व कार्य पूर्णता के पश्चात नियमानुसार रहेगा, अन्य विवरण निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है।

सरपंच, ग्राम पंचायत मुण्डावर, पं. समिति मुण्डावर (अलवर) — NIB N. ZAL2223A0328, UBN N. ZAL2223GSOB00510 — ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मुण्डावर, पं. समिति मुण्डावर (अलवर)

कार्यालय नगर पालिका मण्डावरी जिला-दौसा (राज.)

प्रारूप-13

नियम 13(2) देखिए

प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय नगर पालिका मण्डावरी

क्रमांक- न.पा.म./2022/721 दिनांक- 13.06.2022

अधोहस्ताक्षरकर्ता की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्नांकित खसरा ग्राम मण्डावरी तहसील लालासोट जिला दौसा में स्थित भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व/पश्चात की कालावधि से गैर कृषिक प्रयोजनों लिए उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग व्यक्तियों के अधिकारों/हित राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क की उपधारा (8) के अधीन पर्यवसित किये जाने के दायी है।

क्र.सं.	खसरा संख्या
01	256, 257, 258, 267, 779, 784, 787, 794, 795, 800, 803, 810, 841, 842, 843 844, 845, 850, 851, 1540/853, 1541/853, 1542/853, 859, 865, 867, 869, 870, 871, 872, 873, 1164, 1166, 1167, 1170, 1171, 1172, 1175, 1182, 1260, 1261, 1262, 1282, 1285, 1287, 1289, 871/1533, 871/1534, 361, 406, 592, 596, 887, 984

अतः उक्त भूमि में हित रखने वाले व्यक्ति को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 07 दिवस के भीतर भीतर कारण बतायें। क्यों ना उक्त भूमि पर उसके अधिकारों और हित को पर्यवसित कर दिया जाये और इसलिए क्यों ना भूमि को राज्य सरकार में समस्त विल्लंगमों से मुक्ति निहित किया जा सकें। यह सूचना में हस्ताक्षर एवं मोहर के अधीन 13.06.2022 को जारी की जाती है।

नोट- संबंधित खातेदारों इस लोक सूचना को व्यक्तिगत तामील भी समझे और कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय नगर पालिका मण्डावरी में आपत्ति प्रस्तुत करें।

प्राधिकृत अधिकारी
अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका मण्डावरी